न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्र.सं. 13/2024 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

1. देशराज पुत्र घसीडा
2. सतीश पुत्र लखन

जाति मीना निवासी ओण्ड ब्राह्मण तहसील महवा जिला दौसा राजस्थान

... प्रार्थीगण

बनाम

1.श्री हरकेश मीना पीठासीन अधिकारी, न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा
2. कमलू पुत्र सांवलिया जाति कोली निवासी मैनापुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर

....अप्रार्थीगण

3. घसीडा पुत्र चांदूलाल
4. विजेन्द्र पुत्र घसीडा
5. बृजलाल पुत्र घसीडा
6. देवेन्द्र पुत्र लखन
7. केसर पत्नि लखन

समस्त जाति मीना निवासी ओण्ड ब्राह्मण तहसील महवा जिला दौसा राजस्थान

8. गुड्डी पुत्री लखन पत्नि राकेश जाति मीना निवासी उलूपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर राजस्थान।

.....प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र विरूद्ध श्री हरकेश मीना, पीठासीन अधिकारी न्यायालय तहसीलदार महवा बाबत मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम उनवानी कमलू बनाम घसीडा वगै. मु0नं0 02/2022

उपस्थित : 1 श्री कुंज बिहारी शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

—:: निर्णय ::—

दिनांक: 04.10.2024

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय तहसीलदार महवा में विचाराधीन प्रार्थना पत्र धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम प्रकरण सं0 02/2002 को किसी भी दीगर तहसीलदार के न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश किया गया है।
2. स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण के बहस के दौरान अनुपस्थित रहने से उनके प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बहस मानकर सुनवाई की गई। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार अप्रार्थी नं0 2 ने प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण सं0 3 ता.8 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महवा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम उनवानी कमलू बनाम घसीडा वगै0 पेश कर रखा है जिसमें तारीख पेशी दिनांक 31.1.2024 नियत थी। उक्त प्रकरण में सुनवाई की तारीख पेशी नहीं दी थी किन्तु दिनांक 29.1.2024 से दो से चार दिन की तारीख पेशियां दी जा रही है तथा दिनांक 29.1.2024 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.1.2024 को दी गई तथा दिनांक 31.1.2024 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 7.2.2024 नियत की गई। अधीनस्थ तहसीलदार महवा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:32:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में तारीख पेशी रूटीन की दी जा रही है परन्तु उक्त प्रकरण में नजदीक की तारीख पेशी दी जा रही है। उनवानी प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी सं0 2 से साठ गांठ करके उसको अनुचित लाभ पहुँचाने की गरज से बिना प्रकिया पूर्ण किये नजदीक की तारीख पेशी देकर फैसला करने को आमादा है। अप्रार्थी नं0 2 के पुत्र शिवदयाल ने दिनांक 31.1.2024 को प्रार्थीगण को धमकी दी है कि तुम्हारा अधिवक्ता दिनांक 7.2.2024 को बहस करें या नहीं करे साहब के आते ही फैसला हमारे हक में हो जायेगा तथा प्रार्थीगण ने शिवदयाल को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में भी घुसते हुए देखा है। इससे प्रार्थीगण को पूर्ण विश्वास हो गया है कि अप्रार्थी नं0 2 की पीठासीन अधिकारी से साठ गांठ हो गई है तथा पीठासीन अधिकारी बिना कानूनी प्रकिया अपनाये बिना प्रकरण का निर्णय अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में कर देंगे तथा प्रार्थीगण को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही प्रकरण का प्रार्थीगण के खिलाफ फैसला करेंगे। प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। यदि उक्त प्रकरण न्यायालय तहसीलदार महवा के समक्ष रहा तो वे निश्चित ही अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णय करेंगे। न्याय हो रहा हे ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की कार्यप्रणाली से ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है तथा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी नं. 2 के पक्ष में फैसला करने को आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी बिना कानूनी प्रकिया अपनाये प्रकरण का निस्तारण करने को आमादा हो रहे है जिसके चलते जल्दी की तारीख पेशी दी जा रही है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त यह है कि पक्षकारों को जहॉ से न्याय की उम्मीद नहीं हो वहॉ पर सुनवाई नहीं करवाई जाकर पत्रावली का अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया जाना चाहिए। उपरोक्त परिस्थितियों में विचाराधीन प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम उनवानी कमलू बनाम घसीडा वगै. मु0नं0 02/2022 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महवा से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है अन्यथा न्याय की मंशा ही समाप्त हो जायेगी व प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर कुठाराघात होगा तथा प्रार्थीगण न्याय प्राप्ति से वंचित हो जावेंगे। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अन्तरण प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महवा के समक्ष लंबित उपरोक्त प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 183 बी राज. काश्तकारी अधिनियम उनवानी कमलू बनाम घसीडा वगै. मु0 सं0 02/2022 को अधीनस्थ तहसीलदार महवा के यहॉ से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावें।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार महवा के न्यायालय में प्र0सं0 02/2022 उनवानी कमलू बनाम घसीडा वगै0 अंतर्गत धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम का विचाराधीन है। प्रकरण में विधिवत सुनवाई उभय पक्ष की उपस्थिति में ही जा रही है एवं तारीख पेशी भी उभपक्ष की उपस्थिति में ही दी जा रही है। तहसीलदार महवा द्वारा किसी पक्ष विशेष को अनुचित लाभ पहुम्चाने बाबत कोई कार्यवाही न.हीं की . गई है। प्रकरण अंतर्गत धारा 183 बी राज. काश्त कारी अधिनियम के तहत विचाराधीन है जिसका निस्तारण नियत समयावधि में किये जाने का प्रावधान है। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 ने बहस में कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार महवा के समक्ष उनवानी प्रकरण कमलू बनाम घसीडा वगै0 प्र.सं0 02/2022 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत विचाराधीन है। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से एवं उभयपक्ष को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर सुनवाई की जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा माननीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:32:51 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों के आधार पर यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज फरमाया जावे।

6. हमने राजकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि तहसीलदार महवा के न्यायालय में प्रकरण सं0 02/2022 उनवानी कमलू बनाम घसीडा वगै0 अंतर्गत धारा 183 बी विचाराधीन है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित किये गये है कि प्रकरण में जल्दी जल्दी तारीख पेशियां दी जा रही है एवं पीठासीन अधिकारी की अप्रार्थीगण से साठ गांठ होने बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे उनकी बात को बल मिलता हो। उक्त प्रकरण अंतर्गत धारा 183 बी राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत विचाराधीन है जिसका नियत समयावधि में निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है। धारा 183 बी के तहत समरी प्रोसीडिंग्स कार्यवाही की जाती है।हमने न्यायालय तहसीलदार महवा की नोटशीट का अवलोकन किया जिसमें 29.1.2024 को संपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के कारण पत्रावली को उभयपक्ष वकीलों द्वारा समय चाहे जाने हेतु 31.1.2024 तिथि नियत की गई। इसके उपरांत 31.1'.2024 को वकील अप्रार्थी(जो कि इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण है) के अनुरोध पर बहस हेतु पुनः दिनांक 7.2. 2024 नियत की गई। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में समस्त रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी थी एवं पत्रावली मात्र बहस में थी एवं 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग के तहत की जाती है। अतः मेरा यह अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायिक प्रकिया अपनाई जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की उपस्थिति में नियमानुसार सुनवाई की जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा गलत आधारो पर यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे हम निरस्त किये जाने योग्य समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार महवा में विचाराधीन प्रकरण सं0 02/2022 उनवानी कलमू बनाम घसीडा वगै. अंतर्गत धारा 183 बी को दीगर तहसीलदार के न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महवा को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:32:51 IST
Reason: SelfAttested